



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170729

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 38526 वर्ष 2025

सुरक्षित

हीरा लाल गुप्ता और 3 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : वीरेंद्र कुमार गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदकों की ओर से श्री वीरेंद्र कुमार गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत सत्र वाद संख्या 522 सन् 2021, जो मुकदमा अपराध संख्या 0092 सन् 2021, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272 एवं 273 भा.दं.सं., थाना खन्ना, जिला महोबा से उत्पन्न हुआ है, की संपूर्ण कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 26.08.2021 के आरोप-पत्र, दिनांक 20.10.2021 के समन आदेश तथा आवेदकों के उन्मोचन आवेदन को निरस्त करने वाले दिनांक 28.07.2025 के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल किया गया है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि आवेदकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आरोप के साथ दर्ज की गई कि उन्होंने धोखाधड़ी, कूटरचना तथा खाद्य या पेय पदार्थों में मिलावट कर उन्हें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने संबंधी अपराध किए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस दल खाद्य निरीक्षक के साथ घटनास्थल पर पहुंचा, जहां सोम नाथ गुप्ता (आवेदक संख्या 4) को छोड़कर अन्य अभियुक्त बिना किसी लाइसेंस के अवैध गुटखा का निर्माण करते हुए पाए गए। उनके कब्जे से तंबाकू, सुपारी, रैपर तथा अन्य संबंधित सामग्री बरामद की गई। यह भी आरोप लगाया गया कि सोम नाथ गुप्ता (आवेदक संख्या 4) कारखाने का मालिक था। बरामद वस्तुओं एवं सामग्रियों को मौके पर सीलबंद किया गया तथा बरामदगी ज़ापन तैयार किया गया।

4. जांच के दौरान सुपारी को विश्लेषण हेतु लोक विश्लेषक के पास भेजा गया, जिन्होंने रिपोर्ट दी कि नमूना निम्न स्तर की गुणवत्ता का था। तत्पश्चात, जांच पूर्ण होने पर आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। संबंधित न्यायालय ने अपराध का संज्ञान लिया तथा अभियुक्तों/आवेदकों को समन किया। इसके पश्चात अभियुक्तों/आवेदकों ने उन्मोचन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसे आक्षेपित आदेश दिनांक 28.07.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया।



5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि इसी घटना के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, 51 एवं 58 के अंतर्गत पृथक कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसमें आवेदकों को दोषी ठहराया गया और अपर जिलाधिकारी, महोबा द्वारा उन पर जुर्माना अधिरोपित किया गया। आवेदकों ने उक्त राशि संबंधित न्यायालय के समक्ष जमा कर दी है। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दाखिल परिवाद वाद संख्या 9 सन् 2023 भी आवेदकों के विरुद्ध प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, बांदा के न्यायालय के समक्ष संस्थित किया गया है, जिसमें विद्वान न्यायालय ने अधिनियम की धारा 3(1)(जेडएफ), 3(1)(जेडजेड)(वी), 26(2)(आई)(iii) एवं 31(2) को धारा 26(2)(वी) के साथ पठित करते हुए उनके कथित उल्लंघन के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 52(i), 58 एवं 59(iii) के अंतर्गत दिनांक 24.01.2023 को समन आदेश पारित किया है।

6. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि कथित बरामदगी एवं गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। जब आवेदकों को सक्षम न्यायालय द्वारा उसी अपराध के लिए दोषसिद्ध कर दंडित किया जा चुका है, तब उसी अपराध से उत्पन्न कोई अन्य कार्यवाही जारी नहीं रह सकती, क्योंकि यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। दोहरे संकट के सिद्धांत के दृष्टिगत, वर्तमान आपराधिक वाद का लंबित रहना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 में निहित प्रावधानों के विपरीत है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर विचार किए बिना उन्मोचन आवेदन को निरस्त कर दिया, जिसमें यह प्रकट नहीं होता है कि वस्तुएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक या अहितकर थीं। अतः आक्षेपित आदेश तथा संपूर्ण कार्यवाही निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान कार्यवाही उन कार्यवाहियों से भिन्न प्रकृति की है, जिनमें आवेदकों को दंडित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने उन्मोचन आवेदन को निरस्त करते समय सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदकों द्वारा उठाए गए प्रश्न विवादित तथ्य के प्रश्नों से संबंधित हैं, जिनका निर्धारण साक्ष्य के आधार पर किया जाना आवश्यक है। अतः वर्तमान आवेदन में कोई बल नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

8. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों पर विचार करने तथा अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात यह विवादित नहीं है कि उसी घटना के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2) के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही प्रारंभ की गई थी, जिसमें आवेदकों को दंडित किया गया। आवेदकों का प्रस्तुतिकरण है कि उसी घटना के संबंध में एक अन्य कार्यवाही अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 1, बांदा के समक्ष लंबित है, जहां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए आवेदकों को समन किया गया है। अतः प्रस्तुत किया गया है कि उसी अपराध के संबंध में समानांतर कार्यवाहियां विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र हैं और चूंकि आवेदकों को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उसी अपराध के लिए पहले ही दंडित किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान कार्यवाही में उसी अपराध के लिए उनका पुनः विचारण एवं दंडित किया जाना संभव नहीं है।

9. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि वर्तमान कार्यवाही में आवेदकों के विरुद्ध धारा 419, 420, 467, 468, 471, 272 एवं 273 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **आपराधिक अपील संख्या 472 सन् 2012, राम नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य** में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय IX (संक्षेप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, “एफ.एस.एस.ए.”) के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में, “भा.दं.सं.”) की धाराओं 272 एवं 273 के मध्य अंतर्संबंध के प्रश्न पर विचार किया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि एफ.एस.एस.ए. के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि खाद्य संबंधी विधियों की बहुलता भ्रम उत्पन्न करती है। इसमें आगे प्रावधान किया गया है कि एफ.एस.एस.ए. खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, विपणन, प्रसंस्करण, संचालन, परिवहन, आयात एवं बिक्री में संलग्न व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं विनियमन करने के लिए एकल-खिड़की व्यवस्था स्थापित करता है। एफ.एस.एस.ए. की प्रस्तावना में दर्ज है कि इसे खाद्य संबंधी विधियों को समेकित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह खाद्य सुरक्षा के सभी पहलुओं से संबंधित एक व्यापक विधान है। अपराध एवं दंड अध्याय IX में निहित हैं। धारा 48 की उपधारा (1) उन परिस्थितियों को निर्धारित करती है जिनमें कोई खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाया जा सकता है। धारा 34 की उपधारा (3) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विशेष न्यायालय द्वारा एफ.एस.एस.ए. के अंतर्गत किसी अपराध का विचारण, किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य वाद के अभियोजन पर प्राथमिकता रखेगा। एफ.एस.एस.ए. की धारा 79 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 पर अधिभावी प्रभाव रखती है और यह प्रावधान करती है कि साधारण अधिकारिता वाला न्यायालय एफ.एस.एस.ए. के अंतर्गत प्राधिकृत कोई भी दंड अधिरोपित करने के लिए सक्षम होगा, सिवाय छह वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के दंड के, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों से परे है। धारा 78 में यह प्रावधान है कि एफ.एस.एस.ए. के अंतर्गत किसी अपराध के विचारण के दौरान किसी भी समय, जहां किसी आयातक, निर्माता, वितरक या डीलर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपराध किए जाने का आरोप हो, वहां न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर ऐसे आयातक, निर्माता, वितरक या डीलर के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 की उपधारा (3) के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



प्रावधानों को स्पष्ट रूप से अधिभावी करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 80 है, जिसमें उन प्रतिरक्षाओं का उल्लेख किया गया है जो एफ.एस.एस.ए. के अंतर्गत अभियोजन में उपलब्ध हो सकती हैं अथवा उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। अतः दोनों विधियों के अंतर्गत समकालिक अभियोजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

10. अभिलेख के परिशीलन से पता चलता है कि उसी घटना के संबंध में आवेदकों का खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उस अपराध के लिए विचारण किया गया और उन्हें दंडित किया गया, जो खाद्य पदार्थों में मिलावट के अपराध से संबंधित है। भा.दं.सं. की धाराएं 272 एवं 273 खाद्य या पेय पदार्थ में इस प्रकार मिलावट करने के अपराध से संबंधित हैं, जिससे ऐसा पदार्थ खाद्य या पेय के रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाए। वर्तमान मामले में वस्तु को विश्लेषण हेतु लोक विश्लेषक के पास भेजा गया, जिन्होंने नमूने को निम्न स्तर की गुणवत्ता का बताया। अतः ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं थी कि वस्तु खाद्य या पेय के रूप में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी और चूंकि आवेदकों का एफ.एस.एस. अधिनियम के अंतर्गत उसी अपराध के लिए पहले ही विचारण किया जा चुका था और उन्हें दंडित किया जा चुका था, इसलिए धारा 272 एवं 273 भा.दं.सं. के अंतर्गत उसी अपराध के लिए उनका पुनः विचारण विधि की दृष्टि से स्थिर नहीं था। जहां तक भा.दं.सं. की धाराओं 419, 420, 467, 468 एवं 471 के अंतर्गत अन्य अपराधों का संबंध है, वे उन अपराधों से भिन्न हैं, जिनके लिए आवेदकों का विचारण किया गया और उन्हें दंडित किया गया था। अतः उक्त अपराधों के लिए उनके विचारण पर दोहरे संकट का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

11. उपर्युक्त के दृष्टिगत, यह आवेदन **आंशिक रूप से स्वीकार** किए जाने योग्य है और आक्षेपित आदेश महत्वपूर्ण अवैधता अथवा अनियमितता से ग्रस्त है तथा इसे अपास्त किया जाना आवश्यक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह उपर्युक्त की गई टिप्पणियों के आलोक में तथा विधि के अनुसार आवेदकों के उन्मोचन आवेदन का नए सिरे से निर्णय करे।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

13 अगस्त, 2026

अमित

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।